



# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001  
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाह्य, राजनारायण शर्मा, श्री रामावतार शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत्ति सिंह	नटवर लाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133—44625	मो. 94143—52597	मो. 94140—56109	मो. 94143—96596

## प्रेस विज्ञप्ति

### 'प्रदेश के 54000 प्रबोधक व शिक्षक भुगत रहे हैं फिक्सेशन में त्रुटी का खामियाजा राष्ट्रीय संगठन ने भेजा मुख्यमंत्री व वित्त विभाग को पत्र

जयपुर। 04 जनवरी 2021। गलती किसी ओर ने की और सजा भुगते कोई ओर। ऐसा मामला शिक्षा विभाग में देखने को आया है। दरअसल छठे वेतनमान के तहत किये गए फिक्सेशन के वक्त 2007—2008 में नियुक्त 54000 के करीब तृतीय श्रेणी शिक्षकों व प्रबोधकों के फिक्सेशन में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन शिक्षकों को प्रतिमाह 3000 से 4000 रुपये का नुकसान हो रहा है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद व्यास ने बताया कि इन शिक्षकों व प्रबोधकों की नियुक्ति सन 2007—2008 में हुई। जब 6वें वेतन आयोग के तहत इनके फिक्सेशन करवाये गये तो लेखाधिकारियों द्वारा मूल वेतन 12900 देने के स्थान पर 11170 पर फिक्स कर त्रुटी कर दी।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष श्री सम्पत्तिसिंह ने बताया कि लेखाकर्मियों ने इनकी ग्रेड पे बदली उस समय इनकी प्रथम पे ग्रेड 5200—20200 तथा ग्रेड पे 2800 रुपये थी। इसके बाद सरकार की ओर से वेतन विसंगतियों को दूर करने एक समिति गठित की गई जिसकी सिफारिशों को लागू किया गया। इसमें इन शिक्षकों व प्रबोधकों का मूल वेतन व ग्रेड पे वेतन शृंखला 9300—34800 व ग्रेड पे 3600 किया गया। इस समय लेखाकर्मियों द्वारा सन 2008 में नियुक्त शिक्षकों व प्रबोधकों की ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 रुपये तो कर दी किन्तु वेतन शृंखला 9300—34800 के तहत न्यूनतम मूल वेतन 9300 के स्थान पर पुरानी वेतन शृंखला 5200—20200 के तहत 8750 की गणना करके दिया जिससे इनका मूल वेतन 11170 ही बना रहा जबकि वह 12900 रुपये होना चाहिए था। इस प्रकार केवल फिक्सेशन करते वक्त की गई त्रुटी के कारण इन्हें 3 से 4 हजार रुपये प्रतिमाह नुकसान हो रहा है।

संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि उक्त शिक्षकों व प्रबोधकों के वेतन का नुकसान फिक्सेशन में लेखाकर्मियों के द्वारा की गई त्रुटी के कारण हो रहा है। अतः यह वेतन विसंगति का मामला नहीं है। ऐसे में इसे विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखाकर्मियों से परीक्षण करवाकर संशोधित किया जा सकता है। किन्तु विभागीय अधिकारी अपनी लापरवाही को उजागर होने से बचने के लिए अब तक संशोधित फिक्सेशन की कार्यवाही नहीं कर पाए है। जिसको लेकर संगठन ने राजस्थान सरकार के मुख्यमन्त्री को पत्र भेजकर 2007—2008 में नियुक्त प्रबोधकों व शिक्षकों के फिक्सेशन में हुई त्रुटी को संशोधित करने के आदेश पारित करने की मांग की है। अन्यथा संगठन को मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।

उमा अ. बिठ्ठा

(आशीष त्रिवेदी)  
संयोजक — मीडिया प्रकोष्ठ  
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)